DR. B.R. AMBEDKAR UNIVERSITY OF SOCIAL SCIENCES
(State University, Govt. of MP)
डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय
(राज्य विश्वविद्यालय,मध्यप्रदेश शासन)
डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) जिला इंदौर (म.प्र)

क्रः ब्राउस / शैक्ष. / 2021 / 1596 दिनांक 26/11/21

अधिसूचना

उच्च शिक्षा विभाग वल्लब भवन मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक 908 / 227 / सी.सी. / 2021 / अड़तीस दिनांक 18.11.2021 के अनुसार गृह मंत्रालय भोपाल के द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किए गए है। उक्त दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों में सत्र 2021–2022 की शैक्षणिक गतिविधियाँ 18.11.2021 से विद्यार्थियों की भौतिक रूप से 100% उपस्थिति के साथ प्रारम्भ की जाती है।

ऑफलाईन कक्षाओं का संचालन प्रारंभ किया जाये। एवं ऑनलाईन कक्षाओं का संचालन बंद करें। उक्त दिशा–निर्देशों के परिपालन में 100% क्षमता के साथ पुस्तकालय एवं स्नातक / स्नातकोत्तर सभी कक्षाओं हेतु छात्रावास खोले जाते है।

कोरोना वायरस के बचाव एवं रोकथाम हेतु विश्वविद्यालय तथा छात्रावास में 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र / छात्राओं एवं समस्त स्टॉफ को वेक्सीन के दोनो डोज़ लगवाना अनिवार्य होगा। 18 संवर्ग के शैक्षणिक, अशैक्षणिक कर्मचारी तथा छात्र / छात्राएं जिनके द्वारा दोनो टीके नहीं लगे है उन्हे दोनो टीके लगवाए जाए जो विद्यार्थी 18.11.2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण नही किए है ऐसे विद्यार्थियों का वेक्सीनेशन न होने की स्थिति में विश्वविद्यालय आने की अनुमति होगी।

कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावेगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

1. कुलपति के निज सचिव ब्राउस की ओर सूचनार्थ।
2. संबंधित डीन / विभागाध्यक्ष, ब्राउस की और सूचनार्थ एवं अपने अध्ययनशाला / विभाग स्तर पर विद्यार्थियों के वेक्सीन सर्टीफिकेट देखकर सुनिश्चित करें कि सभी छात्र / छात्राओं को दोनो डोज़ वेक्सीन लगायी जा चुकी है। आगामी कार्यवाही हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
3. प्रभारी सहा. कुलसचिव (परीक्षा विभाग) की ओर सूचनार्थ।
4. प्रभारी फीस शाखा एवं नोडल अधिकारी छात्रवृत्ति की ओर सूचनार्थ।
5. वेबसाइड प्रभारी की ओर सूचनार्थ बेवसाइड पर अपलोड करने हेतु।

कुलसचिव